

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/ मा.चि./06/2018/ 5030
प्रति,

सागर, दिनांक 14-8-18

उपमंडल अभियंता,
ओ.एफ.सी.
बी.एस.एन.एल. सागर (म.प्र.)

विषय :-

Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable on Road from Gourjhamar to Deori road (259/10 to 264/10)

संदर्भ :-

1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2018
2. मंडल अभियंता दूरसंचार परियोजना-1 टेलीकॉम बिल्डिंग 9 बी साकेत नगर भोपाल 24 का पत्र क्रमांक/डब्लू-92/जनरल/वॉल्यूम-11/4 भोपाल दिनांक 02.07.2018
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2018/1769 दिनांक 10.05.2018 एवं पत्र क्रमांक/1148 दिनांक 09.08.2018
3. म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ/5/18/2002/10-3 दिनांक 18.11.2004 एवं पत्र क्र./एफ/5/18/2002/10-3 दिनांक 14.12.2005 एवं क्रमांक/एफ-5-11/2006 भोपाल दिनांक 31.05.2014 म.प्र. शासन वनविभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/11/2006/10-3 दिनांक 31.05.2014 एवं पत्र क्र./एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008
4. अ.प्र.मु.व.सं. (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/1187 दिनांक 31.03.2013 एवं पत्र क्र./2696 भोपाल दिनांक 13.08.2013 एवं पत्र क्र./3455 दिनांक 06.11.2013 एवं पत्र क्र./एफ-5/2014/10-11/996 दिनांक 23.04.2014 एवं पत्र क्र./एस.पी.ए./18 दिनांक 30.01.2015 एवं पत्र क्रमांक/एफ-11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र क्रमांक/एफ-5/2016/10-11/138 दिनांक 14.01.2016 एवं पत्र क्रमांक/1659 दिनांक 08.06.2018 एवं पत्र क्रमांक/2417 दिनांक 06.08.2018
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर का पत्र क्रमांक/878 दिनांक 26.06.2018
6. उप वनमंडल अधिकारी देवरी का पत्र क्रमांक/1192 दिनांक 27.06.2018
7. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/4918 दिनांक 13.08.2018

--“--

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक संस्थान के संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन परिक्षेत्र गौरझामर के अंतर्गत गौरझामर से देवरी के मध्य लंबाई 2190 मीटर एवं चौड़ाई 0.60 मीटर कुल रकवा 0.131 हे. वन भूमि में ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु अनुमति चाही गई है। प्रकरण में कृपया E-portal के माध्यम से चालान से रु 100 मात्र की राशि कैम्पा मद में जमा कर, इस कार्यालय को अवगत करावे।

म.प्र. शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने तालिका में दर्शाये अनुसार वर्तमान में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि से छूट देते हुये वनमंडलाधिकारी को प्रदत्त

अधिकारों का प्रयोग करते हुये आवेदक संस्थान को ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु उपयोग पर देने के प्रस्ताव में एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के तहत मौके पर कार्य करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	वनखंड का नाम	कक्ष क्रमांक	लाईन की लंबाई (कि.मी. में)	लाईन की चौड़ाई (मीटर में)	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण सागर	गौरझामर	हथकोह	आर.एफ. 955	660	0.60	0.039
		गौरझामर	आर.एफ. 967	825	0.60	0.049
		गौरझामर	आर.एफ. 968	705	0.60	0.042
			योग :-	2190	0.60	0.131

शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
- वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- वन भूमि पर भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के लिए आपके आवेदन अनुसार 2.0 मी. गहरा तथा 0.60 मी. चौड़ा खन्ती खोदने हेतु अनुमति दी जाती है।
- समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।
- समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
- खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा।
- यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी।
- खन्ती खोदने से पहले चूना डालकर प्रस्तावित क्षेत्र को अंकित किया जायेगा तथा संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा मौका मुआयना करने एवं लिखित स्वीकृति पर ही कार्य कराया जावेगा।
- यह अनुमति सिर्फ ऊपर दर्शाये वन भूमि पर आवेदित लंबाई तक ही सीमित है। यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है। जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। इसके अतिरिक्त अगर आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन राजस्व वन क्षेत्र (छोटे - बड़े झाड़ का जंगल) में खोदाई की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जायेगी।
- शासन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत अगर भविष्य में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू, वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु राशि की मांग की जाती है, तो संस्थान मालिक Right of way उस हेतु लिखित में (कार्य प्रारंभ के पूर्व) वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदक/आवेदक संस्थान लिखित में (कार्य प्रारंभ के पूर्व) वचन पत्र प्रस्तुत करें, कि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है। तो वे सभी शर्तें उन्हे मान्य होगी।

कृपया अधिरोपित शर्तों को मान्य है, तो शर्तवार (क्रमशः 01 से 11) तक वचन पत्र प्रस्तुत करें, ताकि शीघ्र औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सके।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर (सा.) वनमण्डल

पृ.क./मा.चि./06/2018/5031

सागर, दिनांक 14-8-18

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख हैं, कि विषयांकित कार्य हेतु प्रभावित वन क्षेत्र में वृक्ष कटाई सम्मिलित नहीं हैं।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला सागर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप वनमंडल अधिकारी, देवरी को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी, गौरझामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख हैं, आप यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय से अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही आवेदक संस्थान को मौके पर ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने का कार्य करने दिया जावे। किसी भी स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो इसका विशेष ध्यान रखे। यदि ओ.एफ.सी. केवल लाईन अन्य वन भूमि में डाली जाती हैं तो तत्काल उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डल अधिकारी,

दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

13-08-2018